बिहार सरकार
राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com, URL:scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-विविध-06/2018-.....569/आ.नि.शि. दिनांक-.....16 मई'19

प्रेषक,

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक,

(1) संत जेवियर्स हाई स्कूल, पटना।
(2) माउंट कार्मेल हाई स्कूल, बेली रोड, पटना।
(3) संत जोसेफ कॉन्वेन्ट हाई स्कूल, पटना।
(4) संत जोसेफ कॉन्वेन्ट हाई स्कूल, जेठुली, पटना।
(5) डॉन बास्को एकेडमी, पटना।
(6) संत एमजी पब्लिक स्कूल, पटना।
(7) न्यू एरा पब्लिक स्कूल, पटना।
(8) संत पॉल हाई स्कूल, पटना।
(9) माउंट कार्मेल, लोहियानगर, पटना।
(10) इंटरनेशनल स्कूल, पटना।

विषय :- **दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध कराये जा रहे बाधारहित वातावरण की सुविधा से सम्बन्धित प्रतिवेदन Access Audit Form (बाधारहित अंकेक्षण प्रपत्र) में उपलब्ध कराने एवं राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार द्वारा सम्बन्धित विषय पर शिक्षण संस्थानों की जाँच के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिव्यांगजनों के जीवन के सभी क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु तथा समान अवसर एवं आत्म निर्भर जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सुगम्य भारत अभियान सम्पूर्ण राष्ट्र में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन तंत्र आदि विकसित किया जाना है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा नि:शक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है।

इस दायित्व के निर्वहन के क्रम में सभी शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित वातावरण की सुविधा उपलब्ध है या नहीं इसकी जाँच की आवश्यकता है ताकि दिव्यांगजनों को शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसी बात को ध्यान में रखकर अवरोधमुक्त अंकेक्षण से संबंधित 124 बिन्दुओं का एक प्रोफार्मा राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी भवन के मुख्य द्वार/दरवाजे/गलियारा/लिफ्ट/सीढ़िया/ढलान/ रैम्प/हैण्डल्स/टायलेट/खाने के आउटलेट/सार्वजनिक टायलेट/आराम की सुविधा एवं सूचना काउण्टर आदि प्रमुख्य बिन्दुओं के आधार पर भवनों का अवरोधमुक्त अंकेक्षण किया जाना है।

क्र0पृ030............

Scanned with CamScanner

दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध कराये जा रहे बाधारहित वातावरण की सुविधा से सम्बन्धित प्रतिवेदन कार्यालय वेबसाइट URL:scdisabilities.org पर उपलब्ध विहित प्रपत्र (Aceess Audit Form/सुगम्य अंकेक्षण प्रपत्र) में भरकर कार्यालय को पन्द्रह दिनों के भीतर सुलभ कराने की कृपा की जाय (विहित प्रपत्र की msword में सॉफ्ट प्रति ई-मेल माध्यम द्वारा भी प्रेषित है)।

उक्त के आलोक में यह सूचित करना है कि दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित वातावरण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित मामले पर आपके शिक्षण संस्थान की जाँच राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा 25 मई'2019 के बाद किया जाना है।

विश्वासभाजन

अनु0-यथोक्त।

16/5/19

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-विविध-06/2018-569/आ.नि.कों दिनांक-16 मई'19

प्रतिलिपि:-निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/5/19

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-विविध-06/2018-569/आ.नि.कों दिनांक-16 मई'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

16/5/19

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

Scanned with CamScanner